

विचार बिन्दु

जो गरीबों पर दया करता है, वह अपने कार्य से ईश्वर को ऋणी बनाता है। –बाइबल

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता पर सुनवाई प्रारंभ

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 (2) के अनुसार अनुसार भारत सरकार ने दिनांक 08.04.2025 से इस अधिनियम को देश में लागू कर दिया है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

यह अधिनियम 2025 को संसद द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पारित किया था और उसे भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 05.04.2025 को स्वीकृति (Assent) प्रदान की थी।

इस वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता की 100 से अधिक रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

6 राज्यों ने इसे संवैधानिक माना है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में यह कहा गया है कि इसके प्रावधान 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में इस वक्फ अधिनियम को Religious Autonomy पर असंवैधानिक Assault को संज्ञा दी है। एक अन्य पिटोशन में यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः भी उस कानून को निरस्त करने का अधिकार है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खंडित करते है। यह भी प्रश्न उठाया है कि क्या पूर्ववर्ती मान्य नजीरों के विरुद्ध है? एक अन्य पिटोशन में चुनौती का आधार यह कहा गया है कि इससे Muslim Community अपनी हो सम्पत्ति से बेदखल कर दी जावेगी। यह पिटोशन केरल Islamic Clerics Body की पिटोशन में कहा गया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अधिनियम को उपनयों की वैधानिक चुनौती दी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस अधिनियम की वैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 26, 29, 30 के विरुद्ध होने के कारण इसे चुनौती दी गई है। सब समान है, यह संविधान का सार है; परन्तु कुछ पिटोशनर का कहना है कि समानता है इस अधिकार को गोंग कर दिया है। Right to Manage the Religious Affairs का आधारभूत उद्घोष है Article 26 में है उनका स्पष्ट अतिक्रम हुआ है। अधिकांश पिटोशनस में यह कहा गया है Muslim Community के साथ भेदभाव का यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना चक्र है।

दिनांक 16.04.2025 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 9 पिटोशनस की सुनवाई के हेतु सूचीबद्ध किया है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संजीव खन्ना, जस्टिस के वी विश्वनाथन व जस्टिस संजय कुमार की खण्डपीठ करेगी। उक्त 9 पिटोशनस में वे पिटोशनस हैं जिनमें एआईएमआईएम एएमपी असादुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आप एमएलए अमानातुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमियत उलेमा-ए-हिन्द प्रेसिडेंट असंशद मदान, समथ्य केरल जमियत उलेमा, अनुभुम कादरी, तइय्यर खां सलमान, मोहम्मद शमी, मोहम्मद फजलुर्लहीम आदि हैं। इनका शीर्षक है असादुद्दीन ओवैसी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन WP (C) No. 209/2025 में ये केनकेटड घरेलू हैं।

अभी तक जो पिटोशनस प्रस्तुत हुई हैं उनमें निम्नलिखित आपत्तियां वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। कुछ पिटोशनस ऐसे भी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि संशोधन अधिनियम, 2025 में तामिलनाडु के 50 लाख मुसलमानों व 20 करोड उन मुसलमानों के अधिकार कंठित हो रहे हैं जो देश के अन्य भागों में रहते हैं अतः तामिलनाडु असेम्बली ने यह प्रार्थना भारत सरकार से की है कि कानून को विद्डो किया जावे। कुछ का तो यह भी कहना है कि वक्फ संशोधन बिल की वैधानिकता के बावत पर्याप्त सुनवाई का अवसर न तो जेपीसी ने दिया और न ही संसद ने दिया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जो गंगामा हुआ है उससे स्पष्ट है। राज्य की राजनीति केन्द्र की राजनीति को चुनौती देने जा रही है। धर्म जनजाति पर हावी होने जा रहा है।

एक ओर भाजपा ने देश भर में गांव से लेकर शहर, चौड़ी सड़क से लेकर सफ़ाई गली में भी जन जागृति आन्दोलन को घोषणा की है तो दूसरी ओर आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश व्यापी आन्दोलन करने की घोषणा की है। बोर्ड देश भर में प्रचार करेगा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 इस्लामिक परम्परा, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर अक्रमण है, जिसे रोका जावे। दोनों समुदायों का यह आन्दोलन कब क्या विकट रूप ले ले कहना कठिन है।

- कानून रूप से जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती दी गई है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:-
- वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 26, 300ए के विरुद्ध होने से असंवैधानिक है।
 - जान बूझकर मुस्लिम कॉम्युनिटी को अपनी ही सम्पत्ति के प्रयोग से, उसके प्रबन्ध से रोका गया है। वक्फ के सामान्य शाब्दिक अर्थ के विपरीत, यह प्रयास किया गया है, कौन सम्पत्ति डोनेट कर सकता है। प्रश्न उठाया गया है भारतीय न्यायिक जुडिशियरी द्वारा स्थापित प्रक्रिया Waqf by user को समाप्त किये जाने के हेतु ही वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लाया गया है।
 - कुछ पिटोशनस का कथन है कि वक्फ बिल की प्रक्रिया में जेपीसी ने सभी मान्य Parliamentary Procedure का उल्लंघन किया गया है। जेपीसी ने आपत्तिकात्ताओं को सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया और प्राकृति न्याय के सिद्धान्त का ब्रीच हुआ है। महुआ मोइत्रा एएमपी की पिटोशन में बनाव विशद चर्चा है और आपत्ति की है कि सही प्रक्रिया न अपनाने से भारत के नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाया है।
 - नये संशोधित (Amended) लॉ ने वक्फ संस्थाओं की स्थापना के सिद्धान्तों को ही समाप्त कर दिया है। वक्फ कमेटी के पूरे अधिकार ही सरकार ने अपने कब्जे में ले लिये हैं, जिससे वक्फ के लोकतांत्रिक प्रबन्ध का अधिकार ही मुस्लिम धर्म के अनुरायियों का खण्डित हो गया है।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना-अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा-जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थों में बना रहे।

- मुस्लिम बन्धुओं की Religious Atonomy पर Unconstitutional Assault है।
- वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 स्पष्टतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में जो सिद्धान्त पारित किये हैं, उनका उल्लंघन करते हैं।
 - Non Muslim को सेंटर वक्फ कौन्सिल व बोर्ड ऑफ वक्फ में शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है हम Secular स्पष्ट नहीं है और हम अपने ही भाईयों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 व 27 का यह स्पष्ट उल्लंघन है।
 - यह अधिनियम Islamic Sariat के सिद्धान्त के विपरीत होने से अमान्य है।
 - वक्फ के डोनर के लिये 5 वर्ष का मुस्लिम धर्म मानने वाला प्रावधान, समानता के अधिकार का अर्थात् अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है।

देश में इस समय कई स्थानों पर तोडफोड, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनायें हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने राज्य में बिगड़ते हुये हालात को देखते हुये केन्द्रीय बलों की तत्काल तैनाती की अपील की है। वक्फ संशोधन विधेयक के अतिरिक्त शास्य ही अन्य विषय इन दिनों चर्चा का विषय रहा हो।

राज्यम भूमि के केस में धार्मिक पूजा स्थल के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। भाजपा का मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक भी धर्म निरपेक्ष देश का कानून है। यह प्रचार हो रहा है कि यह कानू शोषण के विरुद्ध है। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबों को इससे न्याय मिलेगा। वक्फ कानून में जो संशोधन हुये हैं, उससे पारदर्शित आयेगा। सम्पत्ति का दुरुपयोग रुकेगा। यह राज्य का विषय है। वक्फ एक्ट में बोर्ड के असौमि अधिकार दिये गये थे जिनके तहत मंदिरों और पूरे गांवों की जमीन ही वक्फ सम्पत्ति रेकॉर्ड की गई है। राज्य कह रहे हैं इन सम्पत्तियों की राशि से गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च किये जायेंगे। वक्फ का जो अभिप्राय था पूरा किया जावेगा। वक्फ कानून का अभिप्राय भी यही था कि अचल सम्पत्ति को इसका दान करे और इसके माध्यम से इस्लाम के मानने वाले इसकी धार्मिक व पवित्र भावना को साकारता प्रदान करे। नये कानून का अभिप्राय भी यही है गरीब व किलालों को मदद हो ट्रस्ट प्रोपर्टी का सुप्रबन्ध हो सके।

देश का कानून सदैव ही स्पष्ट रहा है कि जिसलि कोर्ट का सुनवाई का अधिकार क्षेत्र सदैव सीमित रहेगा, उसे छोना नहीं जा सकता। सन 1940 प्रीबी कौन्सिल ने मार्क एण्ड कमनी के केस में यह निर्णय दिया गया कि प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध यदि न्यायिककरण (ट्रिब्युनल) और बोर्ड पक्षकार को बिना सूने निर्णय देने तो निर्णय को निर्णय नहीं कहा जावेगा व अवैध होगा। इस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है। संविधान लागू होने के बाद देश की जुडिशियरी, सरकार से अलग हुई। किन्तु वक्फ एक्ट में ट्रिब्युनल के फैसले की अपील निषेध की गई थी। जबकि वक्फ संशोधन विधेयक सभी को न्याय का वायदा करता है।

ऐसे भी देश के नागरिक हैं जो यह मानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 वक्तुतः संवैधानिक है और पूर्ववर्ती वक्फ अधिनियम, 1923 को तथा वक्फ एक्ट 1995 को व्यर्थ हो चुका कानून मानते हैं। इसी प्रकार ये मानते हैं कि वक्फ एक्ट भी अब अव्यवहारिक है और संविधान की कसौटी पर खरे नहीं है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 व 55 में वक्फ सम्पत्तियों से अतिक्रमणकारियों को हटाने का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया है, जबकि ऐसा समान अधिकार अन्य धर्म के ट्रस्ट, मंदिर, मठ को संचालित करने वाले ट्रस्टियों, मैनेजरों को नहीं है अर्थात् भेदभाव पूर्ण व्यवहार का यह जीवनदाहरण है और ऐसे प्रावधान असंवैधानिक हैं। इस प्रकार इन लोगों का मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 ने जिन वक्फ अधिनियमों को रीपल किया है वे सभी असंवैधानिक थे, न केवल समानता के प्रतिकूल होने के कारण अपितु अन्य कई कारणों से जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। अतः ये लोग जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी है उसके विरोध में वे अपनी नई रिट याचिका में अन्य पूर्ववर्ती सभी वक्फ एक्ट को असंवैधानिक, अवैध, अव्यवहारिक तथा अमान्य मानकर अपना केस सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं और रख सकते हैं।

देश के 6 राज्यों ने, जिनमें स्टेट ऑफ आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हरियाणा तथा महाराष्ट्र हैं उन्होंने सुनवाई की 16.04.2025 की तारीख से पूर्व पूर्ववर्ती याचिका 284/2025 में जिसे आल्ट इण्डिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दायर की है में हस्तक्षेप करने व पक्षकार बनने की Intervention Petition दायर की है। सभी राज्यों ने नये कानून का समर्थन किया है, उसे संवैधानिक व Non-discriminatory माना है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट पक्ष व विपक्ष से वास्तु प्रतियद लेकर सभी याचिकाओं का निस्तारण शीघ्रता से करना चाहती है। कुछ याचिकाकर्ता अपेक्षा कर रहे हैं कि नया वक्फ संविधान अधिनियम, 2025 जो देश में लागू हो चुका है, उसके क्रियान्वय को रोका जावे और दूसरा पक्ष चाहता है कि अतिक्रमण की गई तथाकथित वक्फ सम्पत्तियों को गरीब मुसलमान, विधवाओं तथा जिसके भी पास छत नहीं है, ऐसे मुसलमानों को सभी आवश्यक सुविधायें दी जावें ताकि वे भी गरिमा के साथ जी सकें।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थों में बना रहे।

नोट:- दिनांक 16 और 17 अप्रैल को अन्तिम आदेश पर बहस सुनी गई। सरकार ने 7 दिन का समय मांगा और कहा कि कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा। न्यायालय ने यह अन्तिम आदेश दिया कि सरकार के जवाब दावे तक कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा यानि यथा स्थिति बनी रहेगी।

सबको सम्पत्ति दे भगवान्‌

-आतिथ्य सम्पादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



रामपाल जाट

सरकार ने गेहूँ खरीद का लक्ष्य वर्ष 2025–26 के लिए 310 लाख टन का निश्चित किया है। वही गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे गेहूँ उत्पादक राज्यों में गेहूँ का बाजार भाव 2725 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब में 125 रुपए, मध्य प्रदेश में 175 रुपए, तथा राजस्थान में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनास घोषित किए जाने के उपरांत भी सरकारी खरीद मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव अधिक है। गेहूँ के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने बोनास घोषित नहीं किया है। देश में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 200 लाख टन गेहूँ की आवश्यकता होती है। बाजार को नियंत्रित रखने के प्रयोग से भी भारतीय खाद्य निगम और राज्यों के द्वारा गेहूँ की खरीद की जाती है।

देश के भंडारण में 15 मार्च तक 130 लाख टन गेहूँ जमा होने से संकट का आभास नहीं हो रहा है। किंतु वर्ष 2024–25 में 3.2 करोड़ टन के लक्ष्य के विपरीत गेहूँ की खरीद 2.6 करोड़ टन तथा वर्ष 2023–24 में लक्ष्य 3.41 करोड़ टन की तुलना में 2.62 करोड़ टन की ही खरीद होने से सरकार

चिंताग्रस्त दिखाई दे रही है। यद्यपि गेहूँ की सरकारी खरीद 11 राज्यों में होगी किंतु कुल खरीद का 70 प्रतिशत पंजाब और हरियाणा से ही पूरा होता है। वर्तमान विपणन वर्ष में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में खरीद चालू है।

इसके लिए अभी तक 17,50,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बाजार भावों के ऊंचा रहने के कारण किसानों का सरकारी खरीद केन्द्रों तक पहुंचना संशय का विषय बना हुआ है। यदि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार भाव सौ रुपए प्रति क्विंटल भी कम रहते हैं तो पंजाब एवं हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में किसानों द्वारा गेहूँ विक्रय हेतु सहकारी प्रार्थमिकता दी जाती है, वे सरकारी खरीद केन्द्रों के मायाजाल से सहमें से रहते हैं। सरकारी भंडारण की लक्ष्यपूर्ति के लिए किसानों को ही विवश कर सरकार गेहूँ खरीदना चाहती है। यह स्थिति तो तब है जब सरकार को खुले बाजार में प्रतियोगी के रूप में भंडारण के लक्ष्य पूर्ति का विकल्प विद्यमान है। पिछले दो वर्षों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने गांव–गांव जाकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य देकर गेहूँ खरीदा था। इससे किसानों को लाभ हुआ और सरकारी केन्द्रों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दामों पर गेहूँ खरीद को रोकने के लिए व्यापारियों पर शिंकजा कसा जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय की ओर से खाद्य एवं नागरिकापूर्ति, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का तहसीलवार दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन खरीद एवं भंडारण के लिए छपेमारी कर जांच करेगा। इसी हेतु से व्यापारियों के लिए गेहूँ खरीदने एवं भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी गई है। जिससे व्यापारी गेहूँ का भाव भी

लिए नीति बनाकर दिशानिर्देश देती है। सरकार किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाने में रुचि एवं उत्साह नहीं दर्शाती है बल्कि किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य से भी वंचित रखती है। तब भी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की घोषणा करने से अघाती नहीं है।

दूध का जला छाछ को भी फूंक–फूंक कर पीता है। इस मुहावरे को चरितार्थ करने वाली 57 वर्ष पूर्व की नीति का स्मरण सिंहरन उत्पन्न करता है। वर्ष 1968 में हरित क्रांति के बाद भारत सरकार ने सरकारी नियंत्रण के अधीन खाद्यान्न का बड़ा भंडारण निर्मित करने का निर्णय लिया था। उस समय देश में खाद्यान्न का उत्पादन 12 लाख टन था, जो देश की आवश्यकता से कम था। उस समय विदेशो से गेहूँ आयात किया जा रहा था। पी एल 480 का समझौता भी इस अवधि में किया गया था। आयात पर निरिर्ता काम करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतरता बनाए रखने को आधार बनाकर भंडारण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु उत्पादकों पर पारसल ग्रेडेड अधिग्रहण मूल्य का वज्रापात हुआ, जिसे प्रचलित भाषा में लेवी के नाम से जाना गया। इसमें पहले तो गेहूँ जैसे खाद्यान्न के संबंध में खुले बाजार की अपेक्षा सरकार के लिए पूर्व क्रयधिकारी की व्यवस्था की गई थी, जिसकी खरीद सरकार स्वयं या भारतीय खाद्य निगम द्वारा करना निश्चित किया गया। निजी व्यापारियों से प्रतिव्यक्ति 57 वर्ष पूर्व की नीतियों का ही सरकार ने सहारा लिया।

इसी का परिणाम है कि गेहूँ के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर गये। 12 अप्रैल तक गेहूँ की खरीद 31 लाख टन हो चुकी जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 17 लाख टन से अधिक है, यानि घाटा किसानों को ही उठाना पड़ा।

—रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

झुंझुनू नगर की स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा : के.के. गुप्ता

- ‘झुंझुनू नगर को स्वच्छ और हवा भरा बनाकर मुख्यमंत्री के स्वच्छ राजस्थान संकल्प को पूरा करेंगे’**

- न्याय मित्र के के गुप्ता ने झुंझुनू में जनसुनवाई की, अधिकारियों को निर्देश दिये**

जगह गंदगी एवं सफाई नहीं होने की शिकायत की तथा कई वार्डों में लाइट लंबे समय से बंद होने की भी शिकायतें सामने आईं। जगह–जगह जानवरों का सड़कों पर घूमने को लेकर भी लोग शिकायतें कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान कचरा उठाने वाले व्हीकल समय पर नहीं आना की बात भी कहीं, जिस पर न्याय मित्र गुप्ता ने कमिश्नर एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि यह अब चरने वाला नहीं है, मुझे न्यायालय ने नियुक्त किया है। मेरे द्वारा

अथक प्रयास किया जा रहा है परंतु समय समय पर कर्मचारियों की लापरवाही से आमजन में नगर परिषद से विश्वास उठ रहा है जो किसी भी सूरत में उचित नहीं है। जनसुनवाई के दौरान न्याय मित्र गुप्ता ने कहा कि शहर में घर–घर पर कचरा नियमित उठाना चाहिए। नगर

में की जाने वाली रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया कि पूरे कमर्शियल एरिया के अंदर रात्रि में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि दिन में यह सफाई संभव नहीं है। मात्र 10 कर्मचारियों से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है।

सामुदायिक शौचालय और मृत्रालय को लेकर सहायक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए की किसी भी शौचालय मृत्रालय में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए, दिन में दो बार हवाई और सफाई होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के कागज पोस्ट चिपके हुए नहीं होने चाहिए। सड़क पर घूमने वाले बेसहारा जानवरों को लेकर कहा कि जो सड़कों पर घूम रहे हैं वह आमजन के लिए भी खतरा है तथा गंदगी भी फैला रहे हैं। ऐसे में सभी जाववरों को गोशाला में ले जाकर छोड़ना तुरंत प्रारंभ करें। नालियों की

सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग

करोली, (निसं)। करोली जिले में सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शेरपुर के स्थान पर सूरौठ को पंचायत समिति बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सूरौठ क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएं और जनसंख्या के लिहाज से भी अधिक उपयुक्त है। ग्रामीणों ने

कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सूरौठ को पंचायत समिति बनाने कि मांग की है। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

सूरौठ तहसील क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने करोली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से सात अप्रैल को शेरपुर को नवीन पंचायत समिति बनाए जाने का प्रस्ताव

राज्य सरकार को भेजा गया है, जबकि यह सूरौठ और आसपास की जनता के साथ अन्याय है। सूरौठ करोली जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और कई वर्षों से तहसील मुख्यालय भी है। वर्तमान में सूरौठ की जनसंख्या लगभग 25,000 है, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 13,780 थी। वहीं, शेरपुर की जनसंख्या मात्र 4,817 है, जो वर्तमान में सूरौठ तहसील की ही उप–

तहसील है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित 25 पंचायतों में से 16 पंचायतें हिंडीदा विधानसभा और 9 पंचायतें करोली विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। सूरौठ में दिल्ली–मुंबई स्टेट हाइवे, बड़ी रेल लाइन, तहसील मुख्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, विद्युत कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेद चिकित्सालय, राष्ट्रीयकृत बैंक,

महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय सहित कई विभागों के कार्यालय हैं। कस्बे के आसपास आठ किलोमीटर के दायरे में लगभग 25 पंचायतों के 50 राजस्व गांव हैं, जिनके हजारों लोग अपने सरकारी और निजी कार्यों से प्रतिदिन सूरौठ आते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि शेरपुर के लिए भेजा गया प्रस्ताव निरस्त किया जाए और सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग है।

 राशिफल शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत २०८२, ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः ८:२१ तक, परिछ योग रात्रि १:०३ तक, तैतिल करण सायं ५:०८ तक, चन्द्रमा आज प्रातः ८:२१ से धनु राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
कुमार योग प्रातः ८:२१ से सूर्योदय तक है। आज गुड फ्राइडे है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से ७:४० तक, लाभ-अमृत ७:४० से १०:३१ तक, शुभ १०:६ से २:०२ तक, चर ५:१३ से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: १०:३० से १:०० तक। सूर्योदय ६:०४, सूर्यास्त ६:४८